न्यूज़ टुडे

संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU) व अन्य देशों ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 'पीस क्लॉज' (शांति खंड) का उपयोग करने पर भारत को प्रश्नगत किया है

- धान की फसल पर लक्षित भारत के **मूल्य समर्थन कार्यक्रम (price support programme)** की WTO में संवीक्षा की जा रही है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और EU ने सब्सिडी के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक मात्रा में सब्सिडी दिए जाने के भारत सरकार के फैसले को चुनौती दी है।
  - इससे पूर्व, भारत सरकार ने **समर्थन मूल्य की उच्चतम सीमा में वृद्धि** के कारण WTO को सूचित किया था कि इसने **पीस क्लॉज** का उपयोग किया है। भारत का कहना है कि यह लाभ किसानों को विपणन वर्ष 2018–2019 के लिए धान हेतु उपलब्ध हो सकता है।
- WTO के **कृषि पर समझौते (Agreement on Agriculture: AoA)** के अंतर्गत, विकासशील देश मूल्य समर्थन उपायों (अर्थात् न्यूनतम समर्थन मूल्य) और इनपुट सब्सिडी के रूप में डी–मिनिमस स्तर (अर्थात् कृषि उत्पादन के कुल मूल्य के 10%) तक सब्सिडी प्रदान कर सकते हैं।
  - उल्लेखनीय है कि, भारत ने धान उत्पादक किसानों को 43.67 अरब डॉलर मूल्य के धान के उत्पादन पर 5 अरब डॉलर की सब्सिडी प्रदान की थी, **जो उत्पादन मूल्य का लगभग 11.4% थी।** अतः यह उच्चतम सीमा से अधिक थी।
- पीस क्लॉज वस्तुतः सब्सिडी की अधिकतम सीमा का अतिक्रमण होने पर **विकासशील देशों के खाद्यान्न खरीद कार्यक्रमों को WTO के सदस्य देशों द्वारा चुनौती दिए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है।**
  - **वर्ष 2013 के बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** में सदस्य देशों ने अंतरिम आधार पर सहमति व्यक्त की थी कि, यदि कोई देश सब्सिडी के संदर्भ में सहमत सीमाओं का अतिक्रमण (व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी) करता है तो भी **सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों को विधिक रूप से चुनौती नहीं दी जाएगी।**
  - **भारत पीस क्लॉज का प्रयोग करने वाला प्रथम देश है।**

बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि (23 जुलाई 1856 – 1 अगस्त 1920) मनाई गई

- **केशव गंगाधर तिलक** (जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है) **भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक नेताओं में से एक थे।**
  - वे बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय द्वारा समर्थित **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरमदल गुट से संबंधित थे।** ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने तिलक को 'भारतीय अशांति का जनक' कहा था।
  - तिलक ने **स्वराज या स्व–शासन** का समर्थन किया था एवं बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलनों का प्रचार किया था।
  - तिलक द्वारा **लोगों में एकता और राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने हेतु गणेश चतुर्थी व शिवाजी जयंती जैसे उत्सवों** का आयोजन किया गया था।
  - जवाहरलाल नेहरू ने तिलक को **'भारतीय क्रांति का जनक'** कहा था तथा महात्मा गांधी द्वारा इन्हें **'आधुनिक भारत के निर्माता'** के रूप में वर्णित किया गया था।
- **तिलक निम्नलिखित संगठनों से संबंधित थे:**
  - **वह अखिल भारतीय होम रूल लीग (1916 ई.)** के संस्थापकों (एनी बेसेंट के साथ) में से एक थे।
  - वह सामान्य–जन को अंग्रेजी में शिक्षित करने के उद्देश्य से 1884 ई. में स्थापित **डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी (Deccan Education Society) के संस्थापक थे।**
- **साहित्यिक कार्य:**
  - उन्होंने साप्ताहिक समाचार–पत्र **केसरी (मराठी में) और मराठा (अंग्रेजी में)** का संपादन किया था।
  - **उनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं:** गीता रहस्य, द आर्कटिक होम इन द वेदाज़ (The Arctic Home in the Vedas) आदि।

श्रम संबंधी संसद की स्थायी समिति ने 'सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security: CSS), 2019' पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है

- इस संहिता को वर्ष 2019 में **लोक सभा में पुरःस्थापित** किया गया था। बाद में लोक सभा अध्यक्ष ने इसे स्थायी समिति को संदर्भित कर दिया था।
- यह संहिता **सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ अधिनियमों,** यथा– कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 आदि को प्रतिस्थापित करती है।
  - सामाजिक सुरक्षा उन उपायों को संदर्भित करती है, **जो श्रमिकों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और आय सुरक्षा के प्रावधान को सुनिश्चित करते हैं।**
- यह उन चार संहिताओं में से एक है जिनके अंतर्गत श्रम मुद्दों से संबंधित अलग–अलग 44 अधिनियमों को शामिल किया गया है। **अन्य तीन संहिताएं हैं– मजदूरी संहिता; उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता (Code on Occupation Safety, health - working conditions); तथा औद्योगिक संबंध संहिता।**

इस समिति द्वारा दिए गए प्रमुख सुझाव:

- **सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा** को "सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) पर ILO अभिसमय, 1952" {ILO Convention on Social Security (minimum standards), 1952} के अनुरूप बनाने हेतु संशोधित किया जाना चाहिए।
- **श्रमिक की परिभाषा का विस्तार किया जाना चाहिए** ताकि सभी प्रकार के श्रमिकों, जैसे– 'आंगनवाड़ी' और 'आशा' वर्कर्स को इसमें शामिल किया जा सके।
- इसमें **गिग वर्कर्स (अनौपचारिक श्रमिक) और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स** (ऑनलाइन कार्य करने वाले) की स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
- आवधिक रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ मजदूरी सूचीकरण की एक **स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से मजदूरी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।**
- इस संहिता में निहित **सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं के संचालन हेतु निधियन के स्रोत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।**

15वें वित्त आयोग द्वारा कृषि निर्यात पर गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह (HLEG) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की

- इस HLEG का गठन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया था:
  - कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु **राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उनके प्रदर्शन को मापने हेतु एक विधि की अनुशंसा करना;** और
  - राज्य ऐसी फसलों को बढ़ावा दें जिनसे आयात का विकल्प तैयार किया जा सके।
- **HLEG के प्रमुख निष्कर्ष:**
  - भारत के कृषि निर्यात के वित्त वर्ष 2019 के **40 अरब डॉलर से बढ़कर कुछ ही वर्षों में 70 अरब डॉलर तक हो जाने की संभावना है।**
    - इससे अनुमानित रूप से **7–10 मिलियन रोज़गार सृजित होंगे,** जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी ।
  - इनपुट (सामग्रियों), अवसंरचना, प्रसंस्करण और मांग बढ़ाने वाले उपायों में 8–10 अरब डॉलर का निवेश होना अनुमानित है।
- **प्रमुख अनुशंसाएं:**
  - 22 फसलों की मूल्य श्रृंखलाओं (अर्थात् मांग आधारित दृष्टिकोण) पर ध्यान केंद्रित करना।
  - मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए **समग्र रूप से मूल्य श्रृंखला क्लस्टर्स** का समाधान निकालना।
  - हितधारकों की भागीदारी के साथ **राज्य आधारित निर्यात योजना** का निर्माण करना। इन योजनाओं को तैयार करने में केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
  - परिणाम प्राप्त करने और निष्पादन में **निजी क्षेत्र को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।**
  - योजनाओं के कार्यान्वयन के वित्त–पोषण और सहायता पहुँचाने के लिए **संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करना।**
    - वर्तमान योजनाओं के अभिसरण (convergence), वित्त आयोग द्वारा आबंटन और निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से वित्त–पोषण को बढ़ावा देना।
- **केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कृषि निर्यात नीति** प्रस्तुत की गई थी। इसमें निम्नलिखित उद्देश्य शामिल हैं: निर्यात को दोगुना करना (वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 30 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 60 बिलियन डॉलर करना), निर्यात बास्केट में विविधता लाना, बाजार तक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण को बढ़ावा देना आदि।

VISIONIAS

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा किफायती किराये के आवासीय परिसरों (Affordable Rental Housing Complexes: ARHC) के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए

- ARHC योजना को हाल ही में प्रधान मंत्री आवास योजना– शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत एक उप–योजना के रूप में प्रारम्भ किया गया था।
  - PMAY-U को वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में आरम्भ किया गया था।
- **ARHCs का प्रयोजन शहरी प्रवासियों/निर्धनों को सुगमतापूर्ण जीवनयापन के लिए** उनके कार्यस्थल के निकट वहनीय किराये वाले आवासीय परिसरों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना है।
- **प्रमुख दिशा–निर्देश:**
  - **अपेक्षित लाभार्थी:** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section: EWS)/निम्न आय वर्ग (Low Income Group: LIG) की श्रेणी में शामिल शहरी प्रवासी/निर्धन व्यक्ति।
    - इसके अंतर्गत श्रमिक, औद्योगिक कामगार, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, छात्र आदि शामिल हैं।
  - **निम्नलिखित दो मॉडलों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा:**
    - वर्तमान में सरकार के वित्त से निर्मित रिक्त आवासीय परिसरों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा ARHCs में परिवर्तित किया जाएगा।
    - सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी रिक्त भूमि पर ARHCs का निर्माण, संचालन और रखरखाव किया जाएगा।
- केंद्र सरकार **किफायती आवास निधि और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत रियायती परियोजना वित्त,** आयकर और GST में छूट तथा प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान प्रदान करेगी ताकि ARHCs में नवोन्मेषी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सके।
- इस योजना को **सभी सांविधिक कस्बों,** अधिसूचित नियोजन क्षेत्रों (Notified Planning Areas) तथा विकास क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कार्यान्वित किया जाएगा।

अन्य सुर्खियाँ

भारतीय निक्षेपागार रसीद (Indian Depository Receipt: IDR)	❍ IDR एक प्रकार का वित्तीय प्रपत्र (instrument) होता है। इसे जारीकर्ता कंपनी की अंतर्निहित इक्विटी के एवज में एक घरेलू निक्षेपागार (Domestic Depository: DD) द्वारा निर्मित निक्षेपागार रसीद के रूप में **भारतीय रुपये के मूल्यवर्ग में** जारी किया जाता है। ➢ घरेलू निक्षेपागार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India: SEBI) के साथ पंजीकृत होते हैं। ये प्रतिभूतियों के संरक्षक होते हैं। ❍ यह (IDR) **विदेशी कंपनियों को भारतीय प्रतिभूति बाजार से धन जुटाने में सक्षम बनाता है।** ❍ **प्रथम IDR को वर्ष 2010 में जारी किया गया था।** ❍ हाल ही में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एकमात्र घरेलू निक्षेपागार) ने भारतीय शेयर बाज़ार से अपनी IDRs को सूची से हटाने (delist) का निर्णय लिया है।
म्युनिसिपल बॉण्ड्स	❍ ये नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए जाने वाले **निश्चित आय वाले प्रपत्र (fixed income instruments)** हैं। ❍ इन्हें सार्वजनिक परियोजनाओं (जैसे– सड़क, पुल या अन्य अवसंरचना) के निर्माण हेतु धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है। इन्हें ऐसी परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न प्रतिफल या कर राजस्व से चुकाया जाता है। ❍ इन्हें **सेबी (SEBI) द्वारा विनियमित** किया जाता है। ❍ **बैंगलोर नगर निगम** वर्ष 1997 में भारत में म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने वाला प्रथम शहरी स्थानीय निकाय (ULB) था।
ग्रामोद्योग विकास योजना	❍ इसे हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। ❍ इसका उद्देश्य **अगरबत्ती के विनिर्माण में शामिल कारीगरों को लाभ प्रदान करना और ग्रामीण उद्योगों का विकास करना** है। ❍ **खादी और ग्रामोद्योग आयोग** इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कारीगरों को अगरबत्ती बनाने की मशीनें उपलब्ध कराएगा तथा कारीगरों को प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करेगा। ❍ हाल ही में, सरकार ने आयात नीति में **अगरबत्ती** को **"प्रतिबंधित"** श्रेणी में सूचीबद्ध किया है और 'गोल बांस की छड़ियों' (round bamboo sticks) पर आयात शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है।
प्रतिबंधित श्रेणी (Restricted category)	❍ हाल ही में, सरकार ने गैर–आवश्यक मदों के आयात में कटौती करने के उद्देश्य से **टेलीविज़न सेट को प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया है।** ❍ इस कदम से घरेलू विनिर्माण और असेंबलिंग गतिविधियों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। ❍ **किसी वस्तु को आयात की प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल करने का तात्पर्य यह है** कि उस वस्तु के आयातक को आयात के लिए वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। ❍ **चीन भारत में टी.वी. सेटों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है।** इसके उपरांत वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग आदि देशों का स्थान आता है।
ग्रीन–एजी परियोजना' (Green-Ag Project)	❍ यह एक प्रायोगिक परियोजना है, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मिज़ोरम में आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य **कृषि से होने वाले उत्सर्जन को कम करना और संधारणीय कृषि पद्धतियों के अंगीकरण को बढ़ावा देना है।** ➢ **इसे अन्य राज्यों, जैसे** – राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा। ❍ इसका उद्देश्य कम से कम 1,04,070 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को **स्थायी भूमि और जल प्रबंधन** के अंतर्गत लाना है। ❍ यह परियोजना **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility: GEF)** द्वारा वित्त पोषित है तथा राष्ट्रीय स्तर पर इसे कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व **कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग** पर है।
ध्रुवीय भालू (Polar bears)	❍ एक नए अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि यदि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम नहीं किया गया तो **ध्रुवीय भालू वर्ष 2100 तक विलुप्त हो सकते हैं।** ➢ कार्बन उत्सर्जन के कारण बढ़ते वैश्विक तापमान से आर्कटिक समुद्री हिम वृहद मात्रा में पिघलने लगी है, **जिससे ध्रुवीय भालू के लिए अपने जीवन निर्वाह हेतु कम पर्यावास क्षेत्र ही शेष रह गया है।** ❍ ध्रुवीय भालू सील का शिकार करने हेतु आर्कटिक समुद्री हिम पर निर्भर होते हैं। ❍ IUCN स्थिति: **वल्नरेबल (सुभेद्य)**
बेइडू (BeiDou)	❍ यह वैश्विक सेवाएं प्रदान करने हेतु **चीन का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है,** जो हाल ही में परिचालित हुआ है। ❍ बेइडू 10 सेंटीमीटर तक की अवस्थिति सटीकता (positioning accuracy) प्रदान करता है, जबकि अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) लगभग **30 से.मी.** तक की सटीकता प्रदान करता है। ❍ पाकिस्तान और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के सदस्य देशों सहित 100 से अधिक देशों द्वारा पहले से ही इस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। ❍ **अन्य नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हैं:** ग्लोनास (रूस), गैलीलियो (यूरोपीय संघ), GPS (संयुक्त राज्य अमेरिका), QZSS (जापान) और **IRNSS (भारत)।**

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चंडीगढ़
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC
VISIONIAS